न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ जे०एम०, जेवर गौतमबुद्धनगर

उपस्थितः नाज़िम अकबर (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

J.O.CODE-UP3328
Bail Appl. No.-575/2023
CNR-UPGB120022652023

सरकार बनाम सचिन मीणा

मु.अ.सं.-159/2023

धारा-120B भा.द.सं. व 14 विदेशी अधि.

थाना-रबूपुरा, जिला-गौतमबुद्धनगर

<u>दिनांक–07.07.2023</u>

1. आज अभियुक्त **सचिन मीणा पुत्र नेत्रपाल सिंह उर्फ नित्तर** की ओर से द्वारा अधिवक्ता मु.अ.सं.-159/2023, अन्तर्गत धारा-120B भा.द.सं. व 14 विदेशी अधि., थाना-रबूपुरा, जिला-गौतमबुद्धनगर के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है।

4. सुना तथा प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया गया। परिशीलन से विदित होता है कि अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसके द्वारा भारत की सीमाओं में पाकिस्तानी लड़की सीमा गुलाम हैदर को बिना अनुमति के प्रवेश करवाया गया है। प्रस्तुत मामला पांच वर्ष तक के कारावास व अर्थदण्ड से दण्डनीय है। अभियुक्त दिनांक 04.07.2023 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा परिक्षणीय है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिशा-निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>**आदेश**</u>

अभियुक्त **सचिन मीणा पुत्र नेत्रपाल सिंह उर्फ नित्तर** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा 30,000/- रूपये (30 हजार रूपये) के दो **स्थानीय प्रतिभू** व समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता हैः-

1. अभियुक्त सक्षम प्राधिकारी को सूचित किये बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
2. अभियुक्त अपने वर्तमान पते को परिवर्तित करने की दशा में न्यायालय को अनिवार्य रूप से अपने परिवर्तित पते से अवगत करायेगा।
3. अभियुक्त किसी भी अन्य प्रकार के अपराध को पुनः नहीं कारित करेगा।

यदि उपरोक्त शर्तों में से अभियुक्त द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो अभियोजन के पास यह विकल्प होगा की वह अभियुक्त के खिलाफ जमानत निरस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सके।

सिविल जज (जू0 डि0)/जे0 एम 0
जेवर, गौतमबुद्धनगर